

No. 9-32/2014-RTI
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Telecommunications
20 Ashoka Road, Sanchar Bhavan, New Delhi-110001.

Dated : 2.6.2014

To

Shri Natraj Saha,
Shivtala Paada,
Ward No. 11, Rampurhaat,
Virbhoom, West Bengal-731224-03..

Subject : RTI application of Shri Natraj Saha dated 26.4.2014 seeking information under RTI Act 2005.

Sir,


I am to refer to your RTI application dated 26.4.2014 and to furnish the para-wise reply to your above mentioned RTI application related to this Wing as under :-

Para 3 - The information is available in the DOT website under RTI link (<https://www.dot.gov.in>). There are at present 70 CPIOs in DOT. No such information is maintained centrally. ~~It can not be provided.~~

Para 4 - The RTI application dated 26.4.2014 was received in this office of Nodal Officer(RTI) on 9.5.2014 and forwarded to concerned CPIO for relevant points.

2. The appeal, if any, may be preferred before Shri S.C. Sharma, DDG(C&A), Department of Telecommunication & IT, Sanchar Bhavan, 20 Ashoka Road, New Delhi - 110001, within 30 days of the receipt of the reply.

Yours faithfully,


(D.P. Singh)

Deputy Secretary(Coord) & Nodal Officer(RTI)
Tel: 23036225

Copy to :-

1. Director(IT), DOT with the request for uploading it in DOT website under link RTI.
2. Copy to File No. 10-9/2014-RTI
3. OL Section for Hindi version.

To
The Central Public Information Officer.

~~And~~
The Joint Secy.
M/O Communications and Information Tech.
D/O Information Tech.
6, Electronics Niketan
C/O Complex, New Delhi - 110003

Subject:- An application Under Right to Information Act 2005

Sir/Madam,

अप्र कानून में वर्णित समयबद्ध केडीआर निम्न सूचनाएं हिन्दी में उपलब्ध कराये:-

1) अप्र मंत्रालय के नियम-द्वारा अस्पताल एवं विद्यालय से कितनी डूरी पर एक मॉबाइल टावर बैठाया जा सकता है? इससे संबंधित समस्त नियम, दिशानिर्देशों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराये।

2) यदि कोई कंपनी अप्र नियम का अपमानना कर मॉबाइल टावर लगाती है तो अप्र मंत्रालय उस कंपनी के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही किये समय में करती है? इससे संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराये।

3) अप्र मंत्रालय के अधिकारियों से संबंधित ~~समस्त~~ ~~सूचना~~ निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराये:-

(क) अधिकारियों के नाम, पद, सम्पूर्ण पता, भसिक क्षेत्र एवं सम्पर्क नंबर।

(ख) कब से अप्र मंत्रालय में कार्यरत हैं?

(ग) उन सभी का इमेल के सम्पूर्ण विवरण।

4) अप्र मंत्रालय के द्वारा अप्र कानून की धारा-4 के वास्तव रूप देने के लिए पिछले सात वर्षों में कौन-कौन करम किस-किस वर्ष आम आदमी के लिए किया गया है? इसका वर्षवार विवरण उपलब्ध कराये।

5) अप्र मंत्रालय का वेब साईट का पता भी उपलब्ध कराये।

6) अप्र मंत्रालय के द्वारा परिवर्तित समस्त योजनाओं की वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां हिन्दी में उपलब्ध कराये।

7) आप अपना एवं प्रथम अपिलीय पदाधिकारी का नाम, पद, सम्पूर्ण पता एवं सम्पर्क नंबर उपलब्ध कराये।

मेरे एक पी.पी.एल कार्ड धारक हूँ, इसलिए अप्र कानून की धारा-4(ड) के तहत समस्त मेरे शुर्कों से मुफ्त है। मेरा बैंक खाते नंबर एन-835863 है।

धन्यवाद

दिनांक:-

12th April, 2014

संलग्नक:-

बैंशन कार्ड की प्रमाणित प्रति

कुल 3 एक प्रति

भद्रेश्वर:-

जंतराज साहा

शिवतला पाड़ा, वाडि नंबर 11 (पुंजार)

शम्पुर हाट, वीरभूम, पं. जंगल

पिन - 731224-03

M+09153362896

Pls. Contact:- Any problem

for CPIO/CARPIO and

Others all.

DOT

1/16

16/4